

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-363 / 2015

संस्थित दिनांक- 04.11.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

लक्ष्मण सिंह पुत्र देवीसिंह यादव उम्र 32 साल
निवासी ग्राम नारहट,
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 13.09.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 304 ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 आरोप है कि उसने दिनांक 02.03.2015 को समय दिन में 03:20 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत विक्रमपुर घटिया के नीचे, पुलिया के पास रोड पर लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकिल टी0व्ही0एस0 स्पोर्टस क्रमांक यू0पी0 94 एम0 0291 को बिना ड्राईविंग लाइसेंस एवं बिना बीमा के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक केशकुंवर बाई को मोटरसाईकिल से गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.03.2015 को 03:30 बजे अभियुक्त लक्ष्मण व मृतका केशकुंवरबाई सहित अनिल के साथ मोटरसाईकिल क्रमांक यूपी 94 एम 0291 से चंदेरी से कनावटा जा रहा था, केश कुंवरबाई मोटरसाईकिल में पीछे बैठी थी, अभियुक्त लक्ष्मण मोटरसाईकिल को तेजी व लापवारही से चला रहा था जिससे विक्रमपुर घटिया के नीचे रोड पर मोटरसाईकिल से केश कुंवरबाई नीचे गिर गई थी और गिरने से उसकी मृत्यु कारित हुई। केश कुंवरबाई की मृत्यु जांच तहरीर सूचना पर से मर्ग क 7/15 पर कायम कर धारा 174 सीआरपीसी कायम कर जांच में लिया गया। जांच में अपराध सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 114/15 अंतर्गत धारा— 304 ए भा0द0वि0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 5/180 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण

हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक 20.12.2016 को फरियादी राजभान के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत् आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) एवं 320 (4) द0प्र0स0 का प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अभियुक्त पर आरोपित अपराध भा0द0वि0 की धारा 304 ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 शमनीय प्रकृति की न होने के कारण प्रस्तुत आवेदनों को निरस्त कर उक्त धाराओं के तहत अभियुक्त का विचारण जारी रहा।
- 04—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.03.2015 को समय दिन में 03:20 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत विक्रमपुर घटिया के नीचे, पुलिया के पास रोड पर लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकिल टी0व्ही0एस0 स्पोर्ट्स क्रमांक यू0पी0 94 एम0 0291 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर मृतक केशकुंवर बाई को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है ?
2.	क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना डाईविंग लाइसेंस के चलाया ?
3.	क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ?
4.	दोष सिद्धि एवं दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष

- 06— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी प्रधान आरक्षक नंदकिशोर झा (अ0सा0-3) सहित मृतका केशकुंवर बाई का पति राजभान (अ0सा0-1), परमाल (अ0सा0-4), रामभरत (अ0सा0-5), नत्थू यादव (अ0सा0-6) के कथनों सहित घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में अनिल कुमार (अ0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये।
- 07— प्रधान आरक्षक नंदकिशोर (अ0सा0-3) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 17.04.2015 को सूचना प्राप्त हुई थी कि परमाल (अ0सा0-3) की पत्नी की मृत्यु अभियुक्त लक्ष्मण सिंह की मोटरसाइकिल से गिरने से हो गई हैं। उक्त सूचना अस्पताल तहरीर पर प्राप्त हुई थीं, जिस पर मर्ग कायम कर उसकी जांच की गई थी जिसमें अपराध सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 114/15 अंतर्गत धारा 304 ए भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रदर्श-पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा लेखबद्ध की गई जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। प्रधान आरक्षक नंदकिशोर असा 3 का अपने कथनो में यह भी कहना है कि मृत्यु की जांच के संबंध में शफीना फार्म प्रदर्श-पी 5 एवं नक्शा पंचायत नामा प्रदर्श-पी 6 तैयार किया गया था तथा साथ ही मृतका की मृत्यु के कारण जानने के लिये शव का परीक्षण हेतु प्रदर्श-पी 7 का आवेदन तैयार कर चंदेरी अस्पताल भेजा था, उपरोक्त प्रदर्श-पी 5, 6 व 7 के दस्तावेजों पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 08— अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये साक्षी राजभान (अ0सा0-1) जो कि मृतका का पति हैं, ने अपने न्यायालीन कथनो में केशकुंवर बाई की दुर्घटना में मृत्यु होने की पुष्टि की है तथा इस साक्षी का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी केशकुंवर बाई ग्राम इमलिया से आरोपी के साथ आ रही थीं, परन्तु केशकुंवर बाई की मृत्यु कैसे हुई तथा किस घटना में हुई इसकी जानकारी इस साक्षी ने न होना बताया है तथा केशकुंवरबाई को अभियुक्त के साथ ग्राम इमलियां से पैदल आना बताया है। साक्षी राजभान (अ0सा0-1) मृतका पति हैं तथा अभियुक्त के उसके साले का लड़का है इसका उल्लेख इस साक्षी के द्वारा

पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श-पी 1 में हैं, परन्तु राजभान (अ0सा0-1) ने पुलिस को प्रदर्श-पी 1 के कथन ही न देना बताया है। यह कैसे संभव है कि पति को अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण एवं कारक की जानकारी न हो। अभियुक्त के साथ राजभान (अ0सा0-1) व मृतका केशकुंवरबाई के संबंध एवं प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामें के कारण निश्चित रूप से इस साक्षी के न्यायालीन कथन प्रभावित हुये प्रतीत होते हैं।

09- घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में अनिल कुमार (अ0सा0-2) के कथन अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कराये गये हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के समय अनिल कुमार (अ0सा0-2) उसी मोटरसाइकिल पर सवार था जिसे लक्ष्मण चला रहा था और मृतका केशकुंवरबाई पीछे बैठी थी तथा घटना की सूचना इसी साक्षी ने परमाल (अ0सा0-4), राम भरत (अ0सा0-5) व नत्थू यादव (अ0सा0-6) को दी थी। अनिल कुमार (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना का प्रत्यक्षदर्शी होते हुये भी अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। यह साक्षी अपने न्यायालीन कथनों में केशकुंवरबाई की मृत्यु मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से होने का मालूम पडना बताता हैं तथा इस साक्षी का कहना है कि मोटरसाइकिल किसकी थी उसे इसकी जानकारी नहीं है। अतः यह साक्षी अपने सामने घटना घटित होने से अप्रत्यक्ष रूप से इन्कार करता है तथा घटना के संबंध में पुलिस को भी प्रदर्श-पी 2 के कथन न देना बताता है।

10- परमाल (अ0सा0-4), रामभरत (अ0सा0-5) व नत्थू यादव (अ0सा0-6) ने अपने न्यायालीन कथनों में केश कुंवरबाई की किसी वाहन से एक्सीडेंट होने से मृत्यु होने के संबंध में न्यायालय में कथन अवश्य दिये है, परन्तु इनमें से किसी भी साक्षी का यह कहना नहीं है कि केश कुंवरबाई की मृत्यु अभियुक्त के द्वारा मोटरसाइकिल क्रमांक यू0पी0 94 एम0 0291 को उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक चलाकर केश कुंवरबाई को मोटरसाइकिल से गिराकर कारित की गई। परमाल (अ0सा0-4) का जहां यह कहना है कि विक्रम चौकी के आसपास केश कुंवरबाई को किसी जीप ने टक्कर मार कर मृत्यु कारित की थीं। वहीं रामभरत (अ0सा0-5) भी अपने न्यायालीन कथनों में यह कहता है कि उसे गांव में यह सूचना मिली थी कि केश कुंवर बाई की मृत्यु जीप की टक्कर लगने से हुई है। नत्थू यादव (अ0सा0-6) किसी दुर्घटना में केश कुंवर बाई की मृत्यु होना अपने कथनों में स्वीकार करता है परन्तु यह साक्षी का यही कहना है कि घटना किस वाहन से हुई थीं इसकी जानकारी उसे नहीं है।

- 11- परमाल (अ0सा0-4) सहित रामभरत (अ0सा0-5) व नत्थू यादव (अ0सा0-6) को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इन साक्षियों ने अपने कथनों में अभियुक्त के विरुद्ध एवं अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार परमाल (अ0सा0-4) जिसे घटना की जानकारी अनिल (अ0सा0-2) के द्वारा फोन पर दी गई थी, अपने न्यायालीन कथनों में यह बात तो स्वीकार करता है कि अनिल (अ0सा0-2) घटना के समय केश कुंवरबाई के साथ था तथा उसी ने ही घटना की जानकारी उसे दी थी। नत्थू यादव (अ0सा0-6) भी अपने कथनों में यह स्वीकार करता है कि दो साल पहले अप्रैल के महीने में परमाल (अ0सा0-4) को अनिल (अ0सा0-2) के द्वारा फोन पर केश कुंवरबाई की दुर्घटना के बारे में जानकारी दी गई थी। राजभान (अ0सा0-1) भी अपने कथनों में यह कहता है कि ग्राम इमलिया से आरोपी उसकी पत्नी केशकुंवरबाई के साथ आ रहा था, परन्तु इस साक्षी का अभियोजन घटना के विपरीत यह कहना है कि वह पैदल आ रहा था।
- 12- राजभान (अ0सा0-1) स्वयं परमाल (अ0सा0-4) व नत्थू यादव (अ0सा0-6) के कथनों से यह तो स्पष्ट होता है कि केशकुंवरबाई की मृत्यु के समय अनिल कुमार (अ0सा0-2) केशकुंवरबाई के साथ ही था तथा अनिल कुमार (अ0सा0-2) के द्वारा केश कुंवरबाई की मृत्यु की जानकारी अन्य लोगों को दी गई थी, परन्तु स्वयं अनिल कुमार (अ0सा0-2) जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है कि अपने कथनों में केश कुंवरबाई का किसी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने के संबंध में तो कथन देता है परन्तु यह जानकारी भी वह अन्य से प्राप्त होना बताता हैं अतः अनिल कुमार (अ0सा0-2) के कथन अनुसार घटना के समय वह केशकुंवरबाई के साथ नहीं था।
- 13- परमाल (अ0सा0-2) ने अपने कथनो में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि अनिल ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त लक्ष्मण के साथ मोटरसाइकिल पर अनिल बीच में तथा केश कुंवरबाई पीछे बैठी थीं तथा इस बात का भी खण्डन किया है कि अनिल ने उसे बताया था कि अभियुक्त मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चला रहा था जिससे केश कुंवरबाई की गिरने से मृत्यु हुई। इसी प्रकार रामभरत (अ0सा0-5) भी इस बात का खण्डन करता है कि उसके सामने अनिल (अ0सा0-2) ने परमाल को फोन पर यह बताया था कि अभियुक्त के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसी

केशकुवरबाई को मोटरसाईकिल से गिरा कर उसकी मृत्यु कारित की। वहीं नत्थू यादव (अ0सा0-6) इसकी जानकारी होने से ही इन्कार करता है कि अनिल ने परमाल (अ0सा0-4) को फोन पर क्या बताया।

- 14- राजभान (अ0सा0-1) अनिल कुमार (अ0सा0-2) प्रधान आरक्षक नंदकिशोर (अ0सा0-3) परमाल (अ0सा0-4) रामभरत (अ0सा0-5) व नत्थू यादव (अ0सा0-6) के कथनों से यह तो स्थापित होता है कि केश कुवरबाई की मृत्यु सामान्य न होकर दुर्घटना में हुई थी, परन्तु घटना के समय केशकुंवरबाई अभियुक्त की मोटरसाईकिल पर बैठी थी उक्त मोटरसाईकिल तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण केश कुंवरबाई की गिर कर मृत्यु कारित हुई थीं इस आशय की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अभियोजन के अनुसार राजभान (अ0सा0-1), परमाल (अ0सा0-4) रामभरत (अ0सा0-5) व नत्थू यादव (अ0सा0-6) घटना के प्रत्यक्ष साक्षी नहीं हैं, जबकि अनिल कुमार (अ0सा0-1) घटना के समय मृतका केश कुवर बाई के साथ होने के बाद भी घटना के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं देता है तथा किसी अन्य के माध्यम से केशकुवरबाई की एक्सीडेंट में मृत्यु की जानकारी होना बताता है। उक्त घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई इस संबंध में इस साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये है।
- 15- अतः अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि घटना दिनांक अभियुक्त मोटरसाईकिल क्रमांक यू0पी0 94 एम0 0291 को लोक मार्ग पर उपेक्षा व उताबले पन से चला रहा था और उस मोटरसाईकिल पर उस समय केशकुवरबाई भी उसके साथ थी। अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि केशकुवरबाई की मृत्यु अभियुक्त के द्वारा चलाई जा रही मोटरसाईकिल क्रमांक यू0पी0 94 एम0 0291 से गिरने के कारण हुई थी।
- 16- प्रधान नंदकिशोर (अ0सा0-6) के द्वारा मर्ग जांच कर प्रकरण की विवेचना भी की गई इस साक्षी का यह कहना है कि उसे दिनांक 17.04.2015 को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि लक्ष्मण सिंह के द्वारा चलाई जा रही मोटरसाईकिल से गिरकर केश कुवरबाई की मृत्यु हुई हैं तथा उक्त सूचना उसे अस्पताल तहरीर पर प्राप्त हुई थीं। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे मर्ग इन्टीमेशन में यह सूचना नहीं मिली थी अभियुक्त लक्ष्मण के द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से

चलाकर केश कुवरबाई की मृत्यु कारित की गई। यह साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अस्पताल की तहरीर और मर्ग इंटीमेशन में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस व्यक्ति के वाहन के द्वारा दुर्घटना हुई थी। अतः स्पष्ट है कि प्रधान आरक्षक नंदकिशोर असा 3 भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, बल्कि प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षियों के द्वारा दिये गये कथनों के आधार पर ही इस साक्षी का यह कहना है कि लक्ष्मण की मोटरसाईकिल से गिरकर केश कुंवरबाई की मृत्यु कारित हुई थी, परन्तु उन्ही साक्षियों के द्वारा न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का ही समर्थन नहीं किया गया तथा घटना के एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अनिल कुमार असा 2 भी केश कुवरबाई की मृत्यु की जानकारी किसी अन्य से प्राप्त होना बताता है।

- 17- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन घटना के समर्थन में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक अभियुक्त ने दिनांक 02.03.2015 को समय दिन में 03:20 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत विक्रमपुर घटिया के नीचे, पुलिया के पास रोड पर लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकिल टी0व्ही0एस0 स्पोर्टस क्रमांक यू0पी0 94 एम0 0291 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर मृतक केशकुंवर बाई को गिराकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है
- 18- किसी भी मोटरयान को सार्वजनिक स्थान पर बिना डाईविंग लाईसेंस व बिना बीमा के चलाना मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध है। बिना वाहन चलाये वाहन के खड़े रहने पर मात्र डाईविंग व वाहन का बीमा का न होना अपने आप में अपराध नहीं है जब तक की ऐसी स्थिति होते हुये सार्वजनिक स्थान पर ऐसे मोटरयान को न चलाया जाये। वर्तमान प्रकरण में यदि यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्त के पास वाहन का बीमा एवं वाहन चलाने का डाईविंग लाईसेंस नहीं था तब भी यदि अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने विक्रमपुर घटिया के नीचे, पुलिया के पास रोड पर लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकिल टी0व्ही0एस0 स्पोर्टस क्रमांक यू0पी0 94 एम0 0291 को चलाया था, और घटना कारित की थीं, तो मात्र इस आधार पर कि अभियुक्त के पास मोटरसाईकिल चलाने का डाईविंग लाईसेंस नहीं हैं एवं यू0पी0 94 एम0 0291 बीमित नहीं हैं, के आधार मात्र पर मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के आरोप साबित नहीं होते हैं।

19 – फलतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त लक्ष्मण सिंह पुत्र देवीसिंह यादव के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 304 ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त लक्ष्मण सिंह पुत्र देवीसिंह यादव को भा०द०वि० की धारा 304 ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

20- अभियुक्त लक्ष्मण सिंह पुत्र देवीसिंह यादव के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा मोटर साईकिल टी०व्ही०एस० स्पोर्ट्स क्रमांक यू०पी० 94 एम० 0291 पूर्व से सुपुर्दगी पर सुपुर्दनामा वाद मियाद अपील भार मुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)